[2021] 7 एस. सी. आर. 532

विद्युत दुर्घटनाएँ सीमित

वी.

यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और ओआरएस।

(2021 की सिविल अपील संख्या 6669)

26 नवंबर, 2021

[एम. आर. शाह और संजीव खन्ना, जे. जे.]

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002: धारा 34-सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होना-तथ्यों पर, अपीलार्थी द्वारा दायर वाद-गारंटर यह घोषणा करने की मांग करता है कि समनुदेशिती के विरुद्ध कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। समनुदेशन विलेख के तहत आवेदक और यह कि समनुदेशिती आवेदक की तुलना में एक सुरक्षित लेनदार नहीं है-अपीलार्थी का मामला कि आई. बी. सी. के तहत अनुमोदित समाधान योजना को देखते हुए, मूल निगमित देनदार का भुगतान किया जा रहा है, इस प्रकार कोई ऋण नहीं होगा।

जहां तक अपीलकर्ता-गारंटर का संबंध है और इस प्रकार, वित्तीय लेनदार द्वारा समय-समय पर निगमित देनदार को समनुदेशनकर्ता के पक्ष में दी जाने वाली सभी वित्तीय सहायता में सभी अधिकारों, स्वामित्व और ब्याज को निर्दिष्ट करने वाला समनुदेशन विलेख 'धोखाधड़ी' था-वाद की प्राप्ति-अभिनिर्धारित किया गयाः बिना किसी सामग्री के धोखाधड़ी के आरोप

दीवानी मुक़दमे पर प्रतिबंध हटाने के लिए विवरण पर्याप्त नहीं हैं। धारा 34-बिना किसी भौतिक विवरण के 'धोखाधड़ी/धोखाधड़ी' शब्द का अनुरोध/उपयोग करना 'धोखाधड़ी' का अनुरोध करने के समान नहीं होगा-तथ्यों पर, बिना किसी विवरण के किए गए 'धोखाधड़ी' के आरोप और बार यू/एस के बावजूद मुकदमे को बनाए रखने योग्य बनाने के लिए तैयार किया गया चतुर मसौदा। 34 , अनुमेय नहीं है और अनुमोदित नहीं किया जा सकता है-यह नहीं कहा जा सकता है कि

समनुदेशन विलेख 'कपटपूर्ण' है-किसी भी मामले में, क्या जहां तक अपीलार्थी का संबंध है, कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण होगा।

एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत-नियुक्त व्यक्ति पहले ही यू/के तहत कार्यवाही शुरू कर चुका है। धारा 13 जिसे अपीलार्थी द्वारा चुनौती दी जा सकती है-इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने बार यू/को ध्यान में रखते हुए वाद को अस्वीकार करने/खारिज करने में न्यायसंगत ठहराया अधिनियम की धारा 34।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1.1 यह वादी-अपीलार्थी की ओर से मामला है कि जिस मुकदमे में संबंध में 'धोखाधड़ी' के आरोप हैं समनुदेशन विलेख बनाए रखने योग्य होगा और सर्फेसी अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रतिबंध लागू नहीं होगा। हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 'धोखाधड़ी'/'धोखाधड़ी' का उपयोग किए गए शब्दों को छोड़कर 'धोखाधड़ी' के संबंध में कोई विशिष्ट विवरण नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक चतुराई से मसौदा तैयार करके और 'धोखाधड़ी' के संबंध में बिना किसी विशिष्ट विवरण के 'धोखाधड़ी'/'धोखाधड़ी' शब्दों का उपयोग करके, वादी-अपीलार्थी सरफेसी अधिनियम की धारा 34 के तहत बार से बाहर निकलने का इरादा रखता है और चाहता है कि

रखरखाव योग्य होना। कानून के तय किए गए पूर्वसर्ग के अनुसार केवल 'धोखाधड़ी'/'धोखाधड़ी' शब्द का उल्लेख और उपयोग करना 'धोखाधड़ी' की परीक्षा को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कानून के तय किए गए पूर्वसर्ग के अनुसार बिना किसी भौतिक विवरण के 'धोखाधड़ी'/'धोखाधड़ी' शब्द का उपयोग करना 'धोखाधड़ी' का अनुरोध करने के समान नहीं होगा। [पैरा 7.1 और 7.2] [543-डी-एच] 1.2 मुकदमे में दलीलों और कथनों पर अधिक विशेष रूप से 'धोखाधड़ी' शब्द के उपयोग पर विचार करने के बाद भी

वादी की ओर से मामले में, यह पाया जाता है कि 'धोखाधड़ी' के आरोप बिना किसी विवरण के और केवल सरफेसी अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रतिबंध से बाहर निकलने की दृष्टि से लगाए गए हैं और इस तरह के चतुराई से मसौदा तैयार करके वादी सरफेसी अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रतिबंध के बावजूद बनाए रखने योग्य मुकदमे को लाने का इरादा रखता है, जो बिल्कुल भी अनुमेय नहीं है और जिसे अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। अन्यथा भी यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह वादी-अपीलार्थी की ओर से मामला है कि आई. बी. सी. के तहत अनुमोदित समाधान योजना और उसके बाद मूल निगमित जहां तक वादी-अपीलार्थी का संबंध है, ऋणी को वहां से छुट्टी दिए जाने पर कोई ऋण नहीं होगा और इसलिए समनुदेशन विलेख को 'धोखाधड़ी' कहा जा सकता है। उक्त बात स्वीकार नहीं की जा सकती। के द्वारा

कि असाइनमेंट विलेख को ही 'धोखाधड़ी' नहीं कहा जा सकता है। किसी भी मामले में, क्या जहां तक वादी-अपीलकर्ता का संबंध है, कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ अनुमोदित समाधान योजना के बाद भी कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण होगा, फिर भी वादी और/या समनुदेशिती को सुरक्षित लेनदार कहा जा सकता है और/या क्या कोई राशि वादी द्वारा देय और देय है, ये सभी प्रश्न हैं जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है

डी. आर. टी. द्वारा सरफेसी अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही के साथ और उस पर विचार किया जाता है। जैसे कि तत्काल मामले में समनुदेशिती ने पहले ही धारा 13 के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है जिसे वादी-अपीलार्थी द्वारा डी. आर. टी. के समक्ष सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत आवेदन के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। कानूनी रूप से उपलब्ध बचाव जो इसके लिए उपलब्ध हो सकते हैं। वादी-अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया मुकदमा सरफेसी अधिनियम की धारा 34 के तहत निहित प्रतिबंध को देखते हुए पूरी तरह से बनाए रखने योग्य नहीं था। इसलिए, निम्न न्यायालयों ने वाद को अस्वीकार करने/वाद को खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

सर्फेसी अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रतिबंध। हालाँकि, अपीलार्थी के लिए यह खुला रहेगा कि वह डी. आर. टी. के समक्ष एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 17 के तहत समनुदेशिती-प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कार्यवाही शुरू करने के खिलाफ उचित कार्यवाही शुरू करे।

सर्फेसी अधिनियम की धारा 13 के तहत। [पैरा 8,9] [545-सी-एच; 546-ए; बी-सी]

बिशुंदेव नारायण और अन्र। वी. सेओगेनी राय और जगरनाथ [1951] एस. सी. आर. 548; लाडली प्रसाद जैसवाल बनाम। द करनाल

डिस्टिलरी कंपनी लिमिटेड करनाल एंड ओआरएस। [1964] 1 एस. सी. आर. 270; केनरा बैंक बनाम. पी. सेलाथल और अन्य। (2020) 13 एससीसी 143: [2020] 2 एससीआर 944; एच. एस. गौतम बनाम। रामा मूर्ति और अन्र। (2021) 5 एस. सी. सी. 241; राम सिंह बनाम ग्राम पंचायत महल कलां और अन्य। (1986) 4 एससीसी 364: [1986] 3 एससीआर 831; भारत संघ और ए. एन. आर. वी. के. सी. शर्मा एंड कंपनी एंड ओआरएस। (2020) 15 एस. सी. सी. 209; भारत धर्म सिंडिकेट बनाम। हरीश चंद्र 64 आई. ए. 146; टी. अरिवंदम बनाम। टी. वी. सत्यपाल और अन्र. (1977) 4 एससीसी 467 [1978] 1 एससीआर

742 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1951] एससीआर 548

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6

[1964] 1 एससीआर 270

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6

[2020] 2 एससीआर 944

पै

रा 6

संदर्भित किया गया है

(2021) 5 एस. सी. सी. 241

पै

रा 6

संदर्भित किया गया है

[1986] 3 एससीआर 831

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6

(2020) 15 एससीसी 209

संदर्भित किया गया है

पैरा 6 निर्वाचक कैस्टिंग्स लिमिटेड v. यू. वी. ए. एस. एस. ई. टी. पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड और ओ. आर. एस.

पै

रा 7.3

64 आई. ए. 146

संदर्भित किया गया है

[1978] 1 एससीआर 742

पै

रा 7.4

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.6669

2021 .

उच्च न्यायालय के 13.08.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 के ओ. एस. ए. No.292 में मद्रास में न्यायिक कार्य।

डॉ. ए. एम. सिंघवी, के. वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मयांक पांडे,

अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

श्याम दीवान, हुज़ेफा अहमदी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मिश्रा सौरभ, ध्रुव

दीवान, सुश्री हर्षिता चौबे, सुश्री चांदनी घटक, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. विवादित फैसले से दुखी और असंतुष्ट महसूस करना

और मद्रास में उच्च न्यायालय द्वारा 2019 के ओ. एस. ए. संख्या 292 में पारित दिनांक 1 का आदेश, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने मूल वादी द्वारा दायर की गई उक्त अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा दायर शिकायत/मुकदमे को खारिज कर दिया गया है-मूल वादी इस आधार पर कि मुकदमा सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 34 द्वारा वर्जित है, मूल वादी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1 वह मूल प्रतिवादी संख्या 3-प्रतिवादी संख्या 3 यहाँ

(इसके बाद मूल प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में संदर्भित) का लाभ उठाया गया

रुपया ऋण समझौते की तारीख के अनुसार ऋण सुविधा 26.07.2011 प्रतिवादी संख्या 2 से-प्रतिवादी संख्या 2 यहाँ

- एस. आर. ई. आई. इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और इसका लाभ उठाया

Rs.500 करोड़ की सीमा तक वित्तीय सहायता। द.

इसमें अपीलार्थी-मूल वादी गारंटर के रूप में खड़ा था। ए.

बंधक यहाँ अपीलार्थी द्वारा बनाया गया था-मूल

प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में वादी-प्रतिवादी संख्या 2

इसमें-एवलूर में अपनी कारखाने की भूमि पर वित्तीय लेनदार,

संयंत्र और मशीनरी के साथ तमिलनाडु सुरक्षित करने की घोषणा के संदर्भ में स्वामित्व विलेखों का जमा

मूल द्वारा पुनर्भुगतान, निर्वहन और मोचन

प्रतिवादी सं. 3. वह मूल प्रतिवादी नंबर 3-कॉर्पोरेट [2021] 7 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

ऋणी ऋण राशि का भुगतान नहीं कर सका, इसलिए कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ दिवाला संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मूल प्रतिवादी नंबर 3 कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था। डिफ़ॉल्ट राशि आई. एन. आर. थी

923,75,00,000 / - . समाधान प्रक्रिया शुरू की गई और आई. बी. सी. के प्रावधानों के तहत एक अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया गया। आई. बी. सी. की धारा 30 (4) के तहत लेनदारों की समिति द्वारा एक समाधान योजना को मंजूरी दी गई। विद्वान न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने 17.04.2018 दिनांकित आदेश के माध्यम से समाधान योजना को मंजूरी दी। अनुमोदित समाधान योजना के तहत आईएनआर 241,71,84,839.18 की राशि थी भुगतान करने की आवश्यकता थी और कॉर्पोरेट देनदार के 67,23,710 इक्विटी शेयर आवंटित किए जाने थे। वादी की ओर से मामले के अनुसार-के भुगतान पर यहाँ अपीलार्थी

उपरोक्त राशि और उपरोक्त शेयरों का हस्तांतरण कॉर्पोरेट देनदार के पक्ष में कोई देय प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था-25.06.2018 पर मूल प्रतिवादी संख्या 3 और कॉर्पोरेट

ऋणी को छुट्टी मिल गई। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद प्रतिवादी संख्या 2-प्रतिवादी संख्या 2 और प्रतिवादी संख्या 1-के बीच एक समनुदेशन समझौता निष्पादित किया गया था। प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2-वित्तीय लेनदार-प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रदान की गई सभी वित्तीय सहायता में सभी अधिकारों, शीर्षकों और ब्याज को निर्दिष्ट करता है, जिसमें समनुदेशनकर्ता-प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में दिनांकित समझौते के संदर्भ में। जैसा कि समनुदेशक-प्रत्यर्थी संख्या 1 ने दिनांकित समनुदेशन समझौते के अनुसार सभी इच्छुक पक्षों को पत्र जारी किया था,

अर्थात्, समनुदेशक-वित्तीय लेनदार, गारंटर और निगमित देनदार जो उस समनुदेशक-वित्तीय लेनदार को सूचित करते हैं। उत्तरदाता सं. 2 ने इसमें सभी को पूरी तरह से सौंपा था

वित्तीय लेनदार द्वारा दी गई सभी वित्तीय सहायता में अधिकार, स्वामित्व और ब्याज-प्रतिवादी संख्या 2 समय-समय पर समनुदेशनकर्ता के पक्ष में कॉर्पोरेट देनदार को-प्रतिवादी संख्या 1 दिनांकित समनुदेशन समझौते के माध्यम से। उक्त पत्र का जवाब वादी-अपीलार्थी ने दिया था। यहाँ निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है:

सी. टी. ओ. एस. टी. ई. एल. कैस्टिंग्स लिमिटेड v. यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.]

(i) "प्रतिवादी संख्या 2 ने आई. बी. सी. के प्रावधानों के अनुसार समाधान पेशेवर के समक्ष अपना दावा विधिवत दायर किया था।

((ii) इस दावे को स्पष्ट किया गया और आई. एन. आर. 577.90 करोड़ में स्वीकार किया गया और यह वेदांता लिमिटेड की अनुमोदित समाधान योजना का भी हिस्सा था।

(iii) अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, उत्तरदाता संख्या 2 के पूरे ऋण का निर्वहन क्रमशः 6.06.2018 और 21.06.2018 पर शेयरों के आवंटन और नकद भुगतान के माध्यम से किया गया है।

(v) इसलिए, जब कोई बकाया बकाया नहीं था और वास्तव में भारित परिसंपत्तियों के पुनर्भरण की आवश्यकता थी, तो ऋण/ऋण/प्रतिभूतियों के आवंटन के लिए अनुबंध या कानून के तहत कोई आधार नहीं था। (vi) इस बात पर जोर दिया गया कि 30.06.2018 दिनांकित असाइनमेंट समझौता शुरू से ही अमान्य और बिना किसी आधार के था।

2.2 कि उसके बाद असाइनमेंट समझौते के आधार पर

दिनांक 30.06.2018, समनुदेशिती-मूल प्रतिवादी संख्या 1-प्रत्यर्थी संख्या 1 ने इसमें वादी-अपीलार्थी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की, जो गारंटर के रूप में खड़ा था, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम) की धारा 13 (2) के तहत, दिनांक 27.12.2018 का नोटिस जारी करके, दिनांक 26.07.2011 के रुपये अवधि ऋण समझौते के तहत बकाया INR 587,10,08,309 के भुगतान की मांग की। एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के दिनांकित 27.12.2018 के नोटिस का जवाब दिया गया था

वादी-अपीलार्थी ने यहाँ दिनांक 20.02.2019 के उत्तर के माध्यम से कहा है कि अनुमोदित समाधान योजना के संदर्भ में राशि के पुनर्भुगतान के अनुसार, वित्तीय प्रावधानों के सभी दावे

लेनदार-प्रत्यर्थी सं. 2 यहाँ समाप्त हो गया है और इसके परिणामस्वरूप, समनुदेशिती प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा उसी चूक के लिए कोई दावा नहीं किया जा सकता है और यह कि कोई भी राशि समनुदेशिती-प्रत्यर्थी सं. 1 को देय और देय नहीं है। कि इसके बाद एक कब्जे का नोटिस दिनांकित 19.06.2019 था [2021] 7 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

प्रतिभूति हित के नियम 8 (1) के तहत जारी किया गया

(प्रवर्तन) नियम, 2002 वादी को समनुदेशिती द्वारा-इसमें अपीलार्थी। इस प्रकार समाचार पत्र में 22.06.2019 पर एक कब्जे की सूचना प्रकाशित की गई थी।

कि इसके बाद वादी-अपीलार्थी ने यहाँ एक

सिविल सूट सी. एस. होना। (घ) मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष 22.06.2019 पर 2019 का सं. 18962 और इसके लिए प्रार्थना की

निम्नलिखित राहतें:

" ((i)। यह घोषणा करने के लिए कि प्रथम प्रतिवादी ने दिनांकित असाइनमेंट डीड 30.06.2018 के तहत आवेदक के खिलाफ कोई अधिकार प्राप्त नहीं किया है, परिणामस्वरूप, घोषणा करें कि प्रथम प्रतिवादी आवेदक की तुलना में सुरक्षित लेनदार नहीं है; और

((ख)। नतीजतन, कब्जा करने की अधिसूचना दिनांकित घोषित करने के लिए

इसमें अपीलकर्ता-वादी ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डी. आर. टी.), चेन्नई के समक्ष भी 17.07.2019 पर एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 17 (1) के तहत आवेदन दायर किया। यह प्रार्थना करते हुए कि समनुदेशिती ने दिनांक 30.06.2018 के समनुदेशन समझौते के तहत कोई अधिकार प्राप्त नहीं किए हैं और इसके परिणामस्वरूप, समनुदेशिती-प्रतिवादी संख्या 1 अपीलार्थी-वादी की तुलना में एक सुरक्षित लेनदार नहीं है और साथ ही दिनांकित 19.06.2019 के कब्जे के नोटिस को अमान्य घोषित करने के लिए भी। डी. आर. टी. की रजिस्ट्री ने सार्फेसी अधिनियम की धारा 17 (1) के तहत दायर आवेदन को यह कहते हुए वापस कर दिया कि

निम्नानुसार: " अपीलार्थी के वकील ने पढ़े गए दोषों का पालन किए बिना एसए का प्रतिनिधित्व किया है, हालांकि इस समर्थन के साथ कि वह एक उचित और आवश्यक पक्ष है और

पैरा VII (i) के माध्यम से प्रार्थना की गई राहत बनाए रखने योग्य है। उन्होंने दोहराया है कि चुनौती के तहत नोटिस के संबंध में राहत मांगी जानी चाहिए।

लौटाया जा सकता है। ”

निर्वाचक कैस्टिंग्स लिमिटेड v. यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.]

2.5

प्रतिवादी सी. एस. में उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुए। (डी)

2019 का सं. 18962, वाद के पक्षकारों द्वारा शपथ पत्र और जवाबी शपथ पत्र दायर किए गए थे। दिनांक 30.09.2019 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया

2019 का आवेदन No.4322 और सी. एस. (घ) अधिकारिता के आधार पर 2019 का No.18962 यह देखते हुए कि मुकदमा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थित भूमि और संपत्ति के लिए है और इसलिए मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं है। यह भी देखा गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सरफेसी अधिनियम की धारा 34 और केवल डी. आर. टी. को देखते हुए वर्जित है। मामले को तय करने की क्षमता थी।

3. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आवेदन को भी खारिज करने के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना जैसा कि मुकदमा दिनांक 30.09.2019 के आदेश के माध्यम से, यहाँ अपीलकर्ता-मूल वादी ने 2019 के O. S. A. No.292 होने के कारण उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष अपील दायर की। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने सरफेसी अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रतिबंध को देखते हुए उक्त अपील को खारिज कर दिया है।

4. उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना

विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा वाद को अस्वीकार करने/वाद को खारिज करने के लिए पारित निर्णय और आदेश के तहत बार की दृष्टि से बनाए रखने योग्य नहीं है

एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 34, मूल वादी-अपीलार्थी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

5. डॉ. ए. एम. सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित हुए हैं

अपीलार्थी और श्री श्याम दीवान की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हुज़ेफा अहमदी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए हैं।

5.1 डॉ. सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने पक्ष रखा

वादी के-अपीलार्थी ने यहाँ जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों दोनों में, विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ ने वाद को अस्वीकार करने और मुकदमे को इस आधार पर खारिज करने में भौतिक रूप से गलती की है कि धारा के तहत बार को देखते हुए मुकदमा वर्जित है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने ठीक से नहीं किया है

5.2

इस तथ्य की सराहना की और विचार किया कि मुकदमे में वादी [2021] 7 एस. सी. आर.

धोखाधड़ी का अनुरोध किया था और यह वादी-अपीलार्थी की ओर से मामला था कि दिनांकित समनुदेशन समझौता धोखाधड़ी है और वादी-अपीलार्थी द्वारा दिनांकित समनुदेशन समझौते को अमान्य घोषित करने के लिए राहत मांगी गई थी, उक्त राहत डी. आर. टी. द्वारा एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के प्रावधानों के तहत नहीं दी जा सकती है और इसलिए एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब मुकदमा 'धोखाधड़ी' का आरोप लगाते हुए दायर किया जाता है तो सरफेसी अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रतिबंध नहीं होगा

लागू होगा और वाद में मांगी गई राहत के लिए मुकदमा बनाए रखने योग्य होगा।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा इस तथ्य पर विचार करते हुए कि बाद में और समनुदेशन समझौते से पहले, समनुदेशन समझौते के संबंध में निगमित देनदार के खिलाफ आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी और समाधान योजना को मंजूरी दी गई थी और स्वीकृत समाधान योजना के तहत देय और देय पूरी राशि का भुगतान सफल समाधान आवेदकों को किया गया था और यहां तक कि निगमित देनदार के इक्विटी शेयरों को भी अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार स्थानांतरित किया गया था और मूल ऋणकर्ता-निगमित देनदार को छुट्टी दे दी गई थी और एन. ओ. सी. जारी किया गया था, इसलिए, समनुदेशन विलेख को आई. बी. सी. के तहत समाधान योजना के बाद 'धोखाधड़ी' कहा जा सकता है और समाधान योजना के तहत भुगतान की गई राशि और स्वीकृत समाधान योजना के अनुसार शेयरों के हस्तांतरण पर और निगमित देनदार को छुट्टी दे दी गई थी। इसलिए, वहाँ नहीं होगा

याचिकाकर्ता द्वारा गारंटर के रूप में कोई भी देय राशि का भुगतान किया जाना है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि न केवल दिनांकित 30.06.2018 असाइनमेंट समझौता अमान्य है और है

' जहां तक अपीलार्थी का संबंध है, धोखाधड़ी करने वाले को भी सुरक्षित लेनदार नहीं कहा जा सकता है।

इसे आगे डॉ. सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कहा कि ऊपर बताए गए कारणों से वादी-अपीलार्थी द्वारा कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण नहीं है और इसलिए सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करना कानूनी रूप से खराब है और बनाए रखने योग्य नहीं है।

स्टील कैस्टिंग्स लिमिटेड v. यू. वी. ए. एस. एस. ई. टी. पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

सर्फेसी अधिनियम के तहत डी. आर. टी. के समक्ष कार्यवाही और उस असाइनमेंट समझौते सहित सभी विवाद शून्य और शून्य; उस समनुदेशिती को दिनांकित समनुदेशन समझौते के तहत सुरक्षित लेनदार नहीं कहा जा सकता है और अपीलार्थी-वादी पर अब तक कोई बकाया नहीं है।

इसे खुला रखा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि उस मामले में अपीलार्थी पहले उचित कार्यवाही दायर करेगा।

डी. आर. टी. आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर।

इस अपील का वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान और वरिष्ठ विद्वान श्री हुज़ेफा अहमदी ने जोरदार विरोध किया है।

प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों की ओर से पेश होना-मूल

- यहाँ उत्तरदाता।

यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा दायर विद्वत एकल न्यायाधीश के समक्ष मुकदमा धारा 34 के तहत बार को देखते हुए उचित रूप से बनाए रखने योग्य नहीं है।

सरफेसी अधिनियम।

यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह के मुकदमे को उचित रूप से बनाए रखने योग्य नहीं माना जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायत में मांगी गई राहत के लिए मुकदमा दायर करके अपीलार्थी द्वारा कार्यवाही शुरू करना प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है

कानून और अदालत।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि 'धोखाधड़ी' के आरोप कुछ और नहीं हैं

केवल सूट लाने की दृष्टि से एक चतुर मसौदा तैयार करना

के तहत बार के बावजूद दीवानी अदालत के समक्ष बनाए रखने योग्य

सर्फेसी अधिनियम की धारा 34।

यह यहाँ उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है-मूल

प्रतिवादी है कि 'धोखाधड़ी'/'धोखाधड़ी' शब्द का उपयोग करने के अलावा,

समर्थन में कोई अन्य विवरण नहीं हैं

धोखाधड़ी के आरोप। यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायत में दो स्थानों पर 'धोखाधड़ी' का अभिवचन किया जाता है, अर्थात् पैरा 31 और पैरा [2021] 7 एस. सी. आर.

46. इन दोनों स्थानों पर यह दावा किया जाता है कि आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही के माध्यम से निगमित देनदार के ऋण का कथित निर्वहन, समनुदेशिती के पक्ष में ऐसे ऋण का कोई आवंटन नहीं किया जा सकता था और इस प्रकार, इस कारण से, सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करना धोखाधड़ी है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त आधार पर समनुदेशन विलेख को 'धोखाधड़ी' नहीं कहा जा सकता है।

यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायत में 'धोखाधड़ी'/'धोखाधड़ी' शब्द का उपयोग केवल दीवानी अदालत के समक्ष बनाए रखने योग्य मुकदमे को लाने और सरफेसी अधिनियम की धारा 34 के तहत बार से बाहर निकलने के लिए किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मुकदमा दायर करने के एक महीने के बाद, अपीलकर्ता ने डी. आर. टी., चेन्नई के समक्ष सरफेसी अधिनियम की धारा 17 (1) के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत समनुदेशिती द्वारा जारी कब्जे के नोटिस पर आरोप लगाया गया, हालांकि, उक्त आवेदन में, किसी भी प्रतिवादी के खिलाफ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी का कोई आरोप नहीं लगाया गया था।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी मामले में पैरा 31 और 46 में दिए गए दावों की केवल समीक्षा करने पर यह देखा जा सकता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सी. पी. सी.) के आदेश VI नियम 4 के तहत 'धोखाधड़ी' के अभिवचन का गठन करने के लिए कोई सामग्री विवरण नहीं दिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 'धोखाधड़ी' आदि जैसे विशेषणों के उपयोग के अलावा,

असाइनमेंट डीड, धोखाधड़ी के संबंध में कोई वास्तविक सामग्री विवरण नहीं दिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पैरा 31 और पैरा 46 में अभिवचन की कसौटी को संतुष्ट नहीं करते हैं

' भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 17 के तहत धोखाधड़ी।

यहाँ उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि कानून के तय किए गए पूर्वधारणा के अनुसार बिना किसी भौतिक विवरण के अभिवचन 'धोखाधड़ी' के अभिवचन के समान नहीं होगा। बिशुंदेव नारायण और अन्न के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा गया है। बनाम सेओगेनी राय और जगरनाथ, (1951) एस. सी. आर. 548; लाडली प्रसाद जैसवाल बनाम.

द करनाल डिस्टिलरी कंपनी लिमिटेड, करनाल एंड ओआरएस। , (1964) 1 एस. सी. आर. 270; केनरा बैंक बनाम पी. सेलथल और अन्य। , (2020) 13 एस. सी. सी. 143; एच. एस. गौतम बनाम राम मूर्ति और स्टील कैस्टिंग्स लिमिटेड बनाम।

यू. वी. ए. एस. एस. ई. टी. पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

एन. आर. , (2021) 5 एस. सी. सी. 241; राम सिंह बनाम ग्राम पंचायत महल कलां और अन्य। , (1986) 4 एस. सी. सी. 364; और भारत संघ और ए. एन. आर. बनाम के. सी. शर्मा एंड कंपनी एंड

ओआरएस। , (2020) 15 एससीसी 209।

उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि

वर्तमान अपील।

सी. टी. आई. वी. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील को विस्तार से सुना है।

वादी-अपीलार्थी की ओर से यह मामला है कि वाद में दिनांकित समनुदेशन समझौते के संबंध में 'धोखाधड़ी' के आरोप हैं और

वादी-अपीलार्थी की ओर से यह मामला है कि असाइनमेंट समझौता स्वीकृत समाधान योजना के अनुसार पूर्ण भुगतान के बाद भी 'धोखाधड़ी' है।

आई. बी. सी. के तहत और मूल निगमित देनदार है

निर्वहन, वादी अपीलार्थी द्वारा यहाँ गारंटर के रूप में कोई ऋण नहीं होगा और इसलिए असाइनमेंट डीड धोखाधड़ी है। अतः इसमें वादी-अपीलार्थी की ओर से यह मामला है कि वह वाद जिसमें -

असाइनमेंट विलेख के संबंध में 'धोखाधड़ी' के आरोप बनाए रखने योग्य होंगे और सर्फेसी अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

हालांकि, यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 'धोखाधड़ी'/'धोखाधड़ी' का उपयोग किए गए शब्दों को छोड़कर कोई विशिष्ट विवरण नहीं हैं। 'धोखाधड़ी' के संबंध में गुहार लगाई। ऐसा प्रतीत होता है कि एक चतुराई से मसौदा तैयार करके और 'धोखाधड़ी' के संबंध में बिना किसी विशिष्ट विवरण के 'धोखाधड़ी'/'धोखाधड़ी' शब्दों का उपयोग करके, वादी-अपीलार्थी यहाँ सरफेसी अधिनियम की धारा 34 के तहत बार से बाहर निकलने का इरादा रखता है और चाहता है कि मुकदमा बनाए रखा जाए। कानून के तय किए गए पूर्वसर्ग के अनुसार केवल 'धोखाधड़ी'/'धोखाधड़ी' शब्द का उल्लेख और उपयोग करना है

'धोखाधड़ी' के परीक्षण को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कानून के तय किए गए पूर्वसर्ग के अनुसार बिना किसी भौतिक विवरण के 'धोखाधड़ी'/'धोखाधड़ी' शब्द का उपयोग करने का अनुरोध नहीं किया जाएगा।

'धोखाधड़ी' की गुहार लगाने के समान है। बिशुंदेव नारायण और अन्न के मामले में। (सुप्रा) पैरा 28 में, यह मनाया जाता है और निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" ..... अब यदि कोई एक नियम है जो किसी अन्य की तुलना में बेहतर स्थापित है, तो वह यह है कि धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव और जबरदस्ती के मामलों में, इसका अनुरोध करने वाले पक्षों को पूरा विवरण देना चाहिए और मामले का निर्णय केवल निर्धारित विवरणों पर ही किया जा सकता है। साक्ष्य में उनसे कोई विचलन नहीं हो सकता है। आम आरोप हैं - यह धोखाधड़ी के आरोप के लिए भी अपर्याप्त है, जिस पर किसी भी अदालत को ध्यान देना चाहिए, भले ही वे जिस भाषा में बात कर रहे हों, वह कितनी भी मजबूत हो, और यही अनुचित प्रभाव और जबरदस्ती पर भी लागू होता है। आदेश 6, नियम 4, सिविल प्रक्रिया संहिता देखें।

लाडली के मामले में भी ऐसा ही विचार व्यक्त किया गया है।

7.3

प्रसाद जैसवाल (सुप्रा) और भारत धर्म सिंडिकेट बनाम भारत धर्म सिंडिकेट मामले में प्रिवी काउंसिल के फैसले पर विचार करने के बाद।

हरीश चंद्र (64 आई. ए. 146), यह माना जाता है कि एक वादी जो धोखाधड़ी या अन्य अनुचित आचरण के आरोप को पसंद करता है, उसे इन आरोपों का सटीक और विशिष्ट विवरण रिकॉर्ड पर रखना चाहिए। यहां तक कि आदेश VI नियम 4 के अनुसार उन सभी मामलों में जिनमें पक्षकार अभिवचन किसी भी गलत निरूपण, धोखाधड़ी, विश्वासघात, जानबूझकर चूक या अनुचित प्रभाव पर निर्भर करता है, अभिवचन में विवरण दिए जाएंगे। इसी तरह के. सी. शर्मा एंड कंपनी (सुप्रा) के मामले में यह माना गया है कि धोखाधड़ी का अनुरोध आवश्यक विवरणों के साथ किया जाना चाहिए। राम सिंह के मामले में और

ओआरएस। ( ), यह इस न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि जब वाद किसी भी कानून द्वारा वर्जित है, तो वादी को चतुराई से मसौदा तैयार करके उस प्रावधान को दरकिनार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है ताकि उन परिस्थितियों का उल्लेख करने से बचा जा सके जिनके द्वारा वाद सीमा कानून द्वारा वर्जित है।

टी. अरिवंदम बनाम के मामले में। टी. वी. सत्यपाल और

7.4

एन. आर. (1977) 4 एस. सी. सी. 467, यह पैरा 5 में निम्नानुसार मनाया और आयोजित किया जाता हैः " 5. अदालत की प्रक्रिया के घोर दुरुपयोग के लिए याचिकाकर्ता की निंदा करने में हमें जरा भी संकोच नहीं है

बार-बार और बिना पश्चाताप के सहारा लिया। इन से

उच्च न्यायालय के निर्णय में पाए गए तथ्यों का विवरण, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि प्रथम मुन्सिफ न्यायालय, बैंगलोर के समक्ष अब लंबित मुकदमा, दलीलें प्राप्त करने में कानून की दया का एक स्पष्ट दुरुपयोग

है। विद्वान मुन्सिफ को यह याद रखना चाहिए कि यदि वादी को सार्थक रूप से पढ़ने पर-औपचारिक रूप से नहीं, तो यह स्पष्ट रूप से परेशान करने वाला है, और निर्वाचक बंदी सीमित है।

यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.]

निरर्थक, मुकदमा करने के स्पष्ट अधिकार का खुलासा नहीं करने के अर्थ में,

उसे आदेश 7, नियम 11 सी. पी. सी. के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग यह देखने के लिए करना चाहिए कि उसमें उल्लिखित आधार है पूरा हुआ। और, यदि चतुराई से मसौदा तैयार करने से कार्रवाई के कारण का भ्रम पैदा हुआ है, तो आदेश 10, सी. पी. सी. के तहत पक्ष की खोज से जांच करके पहली सुनवाई में ही इसे समाप्त कर दें। अ.

सक्रिय न्यायाधीश गैरजिम्मेदार कानूनी मुकदमों का जवाब है।

7.5

इस अदालत ने हाल ही में इसी तरह का विचार व्यक्त किया है।

पी. सेलाथल और अन्य के मामले में निर्णय। (सुप्रा)।

8. मुकदमे में दलीलों और कथनों पर अधिक विशेष रूप से 'धोखाधड़ी' शब्द के उपयोग पर विचार करने के बाद, यहां तक कि मामले पर भी विचार करना।

वादी के मामले में, हम पाते हैं कि 'धोखाधड़ी' के आरोप बिना किसी विवरण के लगाए गए हैं और केवल धारा के तहत प्रतिबंध से बाहर निकलने की दृष्टि से लगाए गए हैं 34 एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम और इस तरह की चतुराई से वादी का मसौदा तैयार करके

एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रतिबंध के बावजूद मुकदमा बनाए रखने योग्य लाने का इरादा रखता है, जिसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं है और जिसे अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। अन्यथा भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वादी-अपीलार्थी की ओर से यह मामला है कि आई. बी. सी. के तहत अनुमोदित समाधान योजना और उसके बाद मूल निगमित देनदार के निर्वहन को देखते हुए, जहाँ तक वादी-अपीलार्थी का संबंध है, कोई ऋण नहीं होगा और इसलिए समनुदेशन विलेख को 'धोखाधड़ी' कहा जा सकता है। उपरोक्त को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके द्वारा असाइनमेंट विलेख को 'धोखाधड़ी' नहीं कहा जा सकता है। किसी भी मामले में, क्या स्वीकृत समाधान योजना के बाद भी कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण होगा जहाँ तक वादी-अपीलार्थी का संबंध है।

निगमित देनदार के खिलाफ अभी भी वादी का दायित्व होगा और/या समनुदेशिती को सुरक्षित लेनदार कहा जा सकता है और/या क्या कोई राशि वादी द्वारा देय और देय है, ये सभी प्रश्न हैं जिन पर डी. आर. टी. द्वारा सरफेसी अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही में विचार किया जाना आवश्यक है। यह ध्यान देने योग्य है कि

जैसे कि वर्तमान मामले में समनुदेशिती ने पहले ही धारा 13 के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है जिसे वादी-अपीलार्थी द्वारा चुनौती दी जा सकती है। डी. आर. टी. के समक्ष कानूनी रूप से उपलब्ध बचाव जो भी उसके लिए उपलब्ध हो सकता है, उस पर डी. आर. टी. के समक्ष सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत आवेदन के माध्यम से। हमारा दृढ़ मत है कि वादी-अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया मुकदमा इस दृष्टि से पूरी तरह से विचारणीय नहीं था कि

एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 34 के तहत निहित बार। इसलिए, नीचे दी गई अदालतों ने [2021] 7 एस. सी. आर. को अस्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 34 के तहत बार को ध्यान में रखते हुए वाद/खारिज करना

सरफेसी अधिनियम।

9. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील विफल हो जाती है और वही खारिज किए जाने के योग्य है और

तदनुसार खारिज कर दिया। हालाँकि, इसमें अपीलकर्ता के लिए यह खुला रहेगा कि वह डी. आर. टी. के समक्ष एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 17 के तहत प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 13 के तहत कार्यवाही शुरू करने के खिलाफ उचित कार्यवाही शुरू करे। - (1) कि जहां तक अपीलार्थी का संबंध है, समनुदेशिती को सुरक्षित लेनदार नहीं कहा जा सकता है; (2) कि इसमें वादी द्वारा इस आधार पर कोई देय और देय राशि नहीं है कि निगमित देनदार और निगमित देनदार के खिलाफ आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही को देखते हुए जिसे अनुमोदित समाधान योजना के बाद रिहा किया जा रहा है, अपीलार्थी के खिलाफ कोई प्रवर्तनीय ऋण नहीं होगा। यदि ऐसा आवेदन आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर दायर किया जाता है, तो उस पर कानून के अनुसार और योग्यता के आधार पर अन्य सभी आवश्यकताओं का पालन करने के बाद विचार किया जाना चाहिए, जो आवेदन करते समय आवश्यक हो सकते हैं।

सर्फेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत आवेदन। हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने उपरोक्त दो मुद्दों पर किसी भी पक्ष के पक्ष में गुण-दोष पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया है। वर्तमान अपील तदनुसार खारिज कर दी जाती है, हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

या

चिका खारिज कर दी गई।

निधि जैन